नियंत्रक ने कानूनी स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा। यदि उन्होंने अपना ध्यान अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया होता, तो उन्होंने उस तरीके से कार्य नहीं किया होता जैसा कि उन्होंने इस मामले में अपनाया था।

(7) परिणामस्वरूप, मैंने पुनरीक्षण याचिका की अनुमति श्रीदी, अपीलीय प्राधिकारी के 5 अगस्त, 1989 के आदेश और 17 दिसंबर, 1988 के किराया नियंत्रक के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को कानून के अनुसार पुन: निर्णय के लिए किराया नियंत्रक के पास भेज दिया। वह किरायेदार द्वारा दायर लिखित बयान को अधिनियम की धारा 7 के तहत एक आवेदन के रूप में मानेगा और किराए की दर के संबंध में उचित मुद्दा तय करेगा और ऐसा करने के बाद, पार्टियों को सबूत पेश करने की अनुमति देगा और उसके बाद निर्णय देगा। यदि उसे पता चलता है कि किराये की दर रु. 40 रुपये नहीं. जैसा कि किरायेदार द्वारा अनुरोध किया गया है, 90 प्रति माह, वह मकान मालकिन को किरायेदार द्वारा अतिरिक्त किराए के भुगतान की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अतिरिक्त किराया वापस करने का आदेश देगा। पार्टियों को अपने वकील के माध्यम से 10 जनवरी 1990 को किराया नियंत्रक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। वे अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

पी.सी.जी

न्यायामूर्ति एम. एम. पुंछी

और ए. एल. बहरी के समक्ष

ग्राम पंचायत बिरधाना, तहसील झज्जर,

जिला रोहतक और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और

अन्य-प्रतिवादी।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या

11471

8 सितंबर, 1989.

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का चतुर्थ)—एस. 102—शिकायतकर्ता को सरपंच के निलंबन को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है—अपील प्राधिकारी को अपील पर विचार करने से इनकार कर देना चाहिए—शिकायतकर्ता को रिट क्षेत्राधिकार लागू करने का कोई अधिकार नहीं है।

अभिनिर्धारित किया कि यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना है जैसा कि सकटू राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया था। 1988(2) आई.एल.आर.-. पी एंड एच 149 और निरस्तीकरण आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया जा सकता है, यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि अपील, जो हमारे देश के प्रक्रियात्मक कानून में मूल मामले की दोबारा सुनवाई है, उसके द्वारा गुण-दोष के आधार पर दायर नहीं की जा सकती।

(पैरा-3)

माना गया कि यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। गुण-दोष के आधार पर अपील करें, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उन्हें इन कार्यवाहियों में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि: -

(क) उपायुक्त (प्रतिवादी संख्या 3) और सचिव (प्रतिवादी) द्वारा पारित दिनांक 12 जुलाई, 1989 (अनुलग्नक पी. 7) और दिनांक 23 अगस्त, 1989 (अनुलग्नक पी-9) के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने के लिए कोई उचित रिट जारी करने के लिए क्रमांक 2) क्रमशः, और लागत सहित सिविल रिट याचिका की अनुमति दें।

(ख) याचिकाकर्ताओं को अनुलग्नक पी-1 से पी-9 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट देने के लिए,

(ग) याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस की सेवा से छूट देने के लिए।

(घ) मामले का रिकार्ड तलब करने को कहा।

(च) मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले याचिकाकर्ताओं को कोई अन्य उचित राहत देने के लिए।

सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत आवेदन प्रार्थना करते हुए कि महामहिम उपायुक्त (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा पारित दिनांक 12 जुलाई, 1989 (अनुलग्नक पी-7) और दिनांक 23 अगस्त, 1989 (अनुलग्नक पी-9) के आक्षेपित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की कृपा करें। क्रमशः सचिव (प्रतिवादी संख्या 2), सिविल रिट याचिका का अंतिम निपटान लंबित है।

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री सी. पी. सपरा, वकील।

निर्णय

माननीय एम. एम. पुंछी, **(मौखिक)**

(1) याचिकाकर्ता नंबर 1 गांव बिरध तहसील झज्जर, जिला रोहतक की ग्रामपंचायत है। याचिकाकर्ता क्रमांक 2 एक पंच है। जिसे सरपंच के निलंबन के कारण कार्यवाहक सरपंच बनाया गया था। कदाचार के कुछ आरोपों पर सरपंच को निलंबित कर दिया गया था। पंचायत के नौ सदस्यों में से पांच ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया था, याचिकाकर्ता उनमें से एक था। मामले की नियमित जांच की गई और उपायुक्त ने आदेश अनुलग्नक पी-7 के तहत सरपंच को बहाल करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने यह विचार किया कि शिकायतकर्ता को सरपंच को निलंबित करने या निलंबन रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता को भी जांच में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। इसने वर्तमान रिट याचिका को जन्म दिया है।

(2) हम याचिकाकर्ता संख्या 1-ग्राम पंचायत की इस मामले पर मुकदमा चलाने के लिए आगे आने की सराहना नहीं करते हैं। संक्षेप में, मुकदमा याचिकाकर्ता संख्या 2, कार्यवाहक सरपंच की ओर से है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील उचित रूप से कहते हैं कि यह मूल रूप से याचिकाकर्ता नंबर 2 की शिकायत को सुनने के लिए एक याचिका है, क्योंकि वह सकटू राम बनाम स्लेट ऑफ हरियाणा और अन्य ''1) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर निर्भर है। हम उनके तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। पूर्ण पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या निलंबन के आदेश को रद्द करने के लिए शिकायतकर्ता को कोई नोटिस देने की आवश्यकता है। पीठ ने विचार किया कि ऐसा नहीं है। ईंधन पीठ ने आगे कहा कि प्रश्न से निपटते समय, आदेश की वैधता को अलग रखा जाना था, जो इस सवाल से बिल्कुल अलग था कि क्या निलंबन रद्द करने का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता को नोटिस दिया जाएगा। पूर्ण पीठ ने शिकायतकर्ता का अधिकार माना कि भले ही उसे नोटिस नहीं दिया गया था। उसे इस आधार पर आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार हो सकता है कि आदेश को इस आधार पर रद्द करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि यह दुर्भावनापूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रद्द करने का आदेश देने से पहले, शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जाएगा। .

(3) इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से निर्णय दिया गया है कि निलंबन रद्द करने का आदेश दर्ज करने से पहले शिकायतकर्ता को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। निरस्तीकरण आदेश अपने आप में उन्हें आदेश के दुर्भावनापूर्ण होने के सीमित आधार पर इस पर और सवाल उठाने का अधिकार दे सकता है। किसी पक्ष को नोटिस देने का उद्देश्य न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा कोई भी कदम उठाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना है। यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना है और उसकी अनुपस्थिति में निरस्तीकरण आदेश पारित किया जा सकता है, तो यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि एक अपील, जो हमारे देश के प्रक्रियात्मक कानून में मूल मामले की दोबारा सुनवाई है, ■नहीं कर सकती उसके द्वारा गुण-दोष के आधार पर दाखिल किया जाए। जहां तक याचिकाकर्ता नंबर 2 की अपील पर विचार करने से इनकार करने वाले विवादित आदेश का सवाल है, हमें इसमें कोई गलती नहीं दिखती। याचिकाकर्ता द्वारा सीधे चुनौती .सं. निरसन आदेश की वैधता के बारे में इस न्यायालय को बताया गया 2 हमें प्रभावित नहीं करता है क्योंकि नियमित जांच के बाद निलंबन का आदेश रद्द किया गया था, न कि अंतरिम चरण में। यदि शिकायतकर्ता को गुण-दोष के आधार पर अपील में सुनवाई का अधिकार नहीं है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन कार्यवाहियों में उसे ऐसा अधिकार कैसे मिल सकता है। जैसा कि हमें प्रतीत होता है, याचिकाकर्ता इस मामले में शिकायतकर्ता होने के कारण अपनी कार्यवाहक सरपंच पद को सुरक्षित रखने के लिए अधिक उत्सुक है।

(4) उपरोक्त कारणों से, हम याचिका को तत्काल खारिज **करते** हैं।

आर.एन.आर

न्यायामूर्ति **जे.वी. गुप्ता**

और के.पी. भंडारी,

राम दयाल (मृतक) और

अन्य,-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य,-

प्रतिवादी

1976 का आर.एफ.ए. नंबर 389

17 नवंबर, 1989

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V)—एस.एस. 149. 151 और 153. ओ. 6, आरएल। 17, ओ. 41, आरएलएस। 3 और 22—बढ़े हुए मुआवजे के लिए दावा—नियमित प्रथम अपील में निर्णय के 10 साल बाद दायर अपील के ज्ञापन में संशोधन के लिए आवेदन—आवेदन पोषणीय नहीं है।

यह माना गया कि आवेदन 10 वर्ष से अधिक समय के बाद दायर किया गया है? इस न्यायालय में अपील के निर्णय के बारे में। उक्त मामला पार्टियों के बीच अंतिम हो गया है और इसलिए, अपीलकर्ताओं को मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का दावा करने के लिए अपील के ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति देकर दस साल से अधिक समय के बाद इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है। एक बार अपील का निपटान हो जाने के बाद, वह अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है और इसलिए, दावेदारों के लिए आधार में संशोधन के लिए पूछना संभव नहीं था ताकि अपील के निपटान के लिए दावा बढ़ाया जा सके।

अस्वीकरण : **स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

मनजोत कौर

प्रशिक्षु

न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा